

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 09-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 व्यक्ति के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही”

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री मायाराम वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक चिल्हिया श्री दिनेश चन्द्र चौधरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.02.2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए ग्राम भाड़ेहर ग्रांट निवासी एक पक्षीय के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 09-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 व्यक्ति के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही”

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री मायाराम वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री अजय श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक गोल्हौरा शमशेर बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.02.2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एक पक्षीय के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवाद का कारण - नाली के बहने व मकान में खिड़की लगाने के सम्बन्ध में

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1. मो० तैयब पुत्र मुख्तार निवासी कड़जहवा ग्रांट थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर, उम्र 32वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उपनिरीक्षक श्री रामानंद यादव

2-कांस्टेबल आशुतोष यादव।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 09-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री मायाराम वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बांसी श्री अरूणचंद के कुशल निर्देशन व शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक शेषनाथ यादव व उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह मय टीम द्वारा आज दिनांक 09.02.2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 03 अभियुक्तों को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तारकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण

1.कुलदीप उपाध्याय पुत्र द्वारिका उपाध्याय निवासी मटियरिया थाना को० बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

2.चिक्कू पुत्र प्रभु

3.राकेश पुत्र झीनक

निवासीगण ग्राम गोनहाडीह थाना को०बांसी सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 09-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर*

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर एवं श्री पुलकित गर्ग, मुख्या विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी का आयोजन कर सुरक्षा-व्यवस्था एवं अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति- व्यवस्था बनाये रखने तथा जनता में पुलिस की छवि व्यवहार कुशल बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश दिये।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर एवं श्री पुलकित गर्ग, मुख्या विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 09-02-2021 को पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में अपराध गोष्ठी का आयोजन कर जनपद की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी। अपराध गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

- 1- 06 माह से अधिक अवधि से लम्बित अभियोगों का अनावरण हेतु निर्देशित किया गया।
- 2- आईटी0 एक्ट में लम्बित समस्त अभियोगों का अनावरण हेतु निर्देशित किया गया।
- 3- महिला एवं बाल अपराध से सम्बन्धित समस्त अभियोगों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
- 4- उच्च स्तर से प्राप्त लंबित शिकायती प्रार्थना-पत्रों का विवरण।
- 5- समस्त राजपत्रित अधिकारीगण एवं अपराध शाखा द्वारा की जा रही विवेचनाओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
- 6- जन शिकायत के माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों का विवरण।
- 7- लम्बित एस0आर0 केस के बारे में जानकारी ली गयी।
- 8- समस्त प्रकार के अभियोगों में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
- 9- आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
- 10- लम्बित प्रारम्भिक जाँच, विभागीय कार्यवाही पूर्ण करने व चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लम्बित पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
- 11- माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप पत्र/ अन्तिम रिपोर्ट को समय से मा0 न्यायालय भेजने हेतु निर्देशित किया गया।
- 12- थानास्तर पर प्राप्त समस्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
- 13- शासन द्वारा निर्धारित 11 बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही का विवरण।
- 14- कोविड-19 महामारी संक्रमण के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कृत कार्यवाही एवं पुलिसकर्मियों को वैक्सीन इत्यादि हेतु निर्देश आदि।
- 15- गुमशुदा अपहृत-अपहृताओं की बरामदगी हेतु किए गए प्रयासों का विवरण।
- 16- विशेष रूप से आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के संबंध में बल देते हुए समस्त प्रकार की तैयारियों से अद्यतन रहने तथा सभी प्रकार की छोटी बड़ी समस्त घटनाओं का संज्ञान लेने हेतु समस्त को निर्देशित किया गया।
- 17- समस्त पुलिसकर्मियों एवं यू0पी0-112 के पी0आर0वी0 कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण एवं उनके सुख-सुविधाओं तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सीजीएचएस दर पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये, अवसाद-ग्रस्त पुलिसकर्मियों में सकारात्मकता का भाव भरने हेतु योगाभ्यास/ खेल-कूद/ व्यायाम आदि हेतु समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को सुझाव दिया गया व चिकित्सा प्रतिपूर्ति की समस्त लम्बित पत्रावलियों को निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मालों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े दिशा-निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, लम्बित मुकदमों में एकत्रित साक्ष्य एवं गुण-दोष के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में महोदय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

उक्त गोष्ठी में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर समस्त क्षेत्राधिकारीगण, अभियोजन अधिकारी, निरीक्षक प्रज्ञान शाखा, निरीक्षक रेडियोशाखा, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी आंकिक शाखा, प्रभारी डीसीआरबी शाखा, प्रभारी विशेष जाँच प्रकोष्ठ, प्रभारी विशेष शिकायत प्रकोष्ठ, प्रभारी यू0पी0-112, प्रभारी यातायात, रीडर व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

05

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 09-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 09-02-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एकट के अंतर्गत 283 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 154 वाहनों का चालान कर ₹ 1,31,600/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

06

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 09-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के निर्देशन में व श्री जयप्रकाश दूबे थानाध्यक्ष थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में आगामी ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 09.02.2021 को थाना मोहाना पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत धारा 107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत ग्राम नरकुल के 17 व्यक्ति, रसूलपुर टोला पिकौर के 05 व्यक्ति, खैराटी के 06 व्यक्ति, *कुल 28 व्यक्तियों की चलानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय भेजा गया। तथा एक व्यक्ति को धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

07

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 09-02-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री अरूणचंद, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन व श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री राजेश कुमार मौर्या मय टीम के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश पर थाना स्थानीय पर दिनांक 09.02.2021 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 21/2021 धारा 376/506 भा०द०वि० से संबंधित नामजद अभियुक्त सूरज अग्रहरि पुत्र विजय अग्रहरि निवासी टेकधरनगर थाना को०बांसी सिद्धार्थनगर को आज दिनांक 09.02.2021 को रोडवेज बांसी से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1-सूरज अग्रहरि पुत्र विजय अग्रहरि साकिन टेकधरनगर थाना को०बांसी सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1.उ०नि० श्री राजेश कुमार मौर्या

2. का० श्यामसुन्दर मौर्या

3.का० जयसिंह चौरसिया

थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर